राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री गुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 91/21
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2021/155
दायर दिनांक–30.09.2021
निर्णय दिनांक– 28.08.2025

1. श्रीमती आचुकी पत्नि रामेश्वर जाति रेगर निवासी सुरसुरा तह0 रूपनगढ़

.....प्रार्थिया

बनाम

1. श्रीमती नोसर पत्नि स्व0 घासी जाति जाट
2. करतार पुत्र स्व0 घासी जाति जाट
3. दातार पुत्र स्व0 घासी जाति जाट
4. श्रीमती कमला पत्नि स्व0 घासी जाति जाट
5. सुरेश पुत्र स्व0 श्रवण जाति जाट
6. कैलाश पुत्र सुरजकरण जाति ब्राह्मण
7. श्रवण पुत्र कैलाश जाति ब्राह्मण
8. संतोष पुत्र भंवर लाल जाति ब्राह्मण
9. बल्लभा पुत्र रामा जाति जाट
10. खेतूराम पुत्र स्व0 काना जाति सरगरा
11. विश्राम पुत्र सुजा जाति सरगरा
12. मुन्ना पुत्र लाल खॉ जाति मुसलमान

सर्वनिवासी ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

13.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0

उपस्थिति–:1. श्री ध्रुवसिंह चौधरी ,अधि0 प्रार्थी

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिया ने प्रस्तुत वाद धारा 92 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा की डिक्री हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष 13.5.2013 को प्रस्तुत किया था। वादिया का उक्त वाद माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2015 को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। वादिया ने माननीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 09.07.2015 को अपास्त करने के लिए न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय ने वादिया का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27.8.2021 को स्वीकार कर लिया परन्तु उक्त दिनांक को वादिया के अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पुनः अदम हाजरी/अदम पैरवी में दिनांक 27.8.2021 को खारिज कर दिया। प्रार्थिया के अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के बाबत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अवगत नहीं कराया है। प्रार्थिया दिनांक 21.9.2021 को अपने पति रामेश्वर के साथ न्यायालय में उक्त प्रकरण के बारे में जानकारी लेने हेतु उपस्थित हुई थी परंन्तु प्रार्थिया के अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं हुआ तो प्रार्थिया ने अपने पति के सहयोग से श्री सुरज सिंह चन्देल एडवोकेट के मार्फत उक्त प्रकरण के बारे में जानकारी की। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0 स्वीकार होने के उपरान्त अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण पुनः न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है इसके लिए अधिवक्ता जिम्मेदार व उत्तरदायी है। विधि के प्रावधान अनुसार अधिवक्ता की लापरवाही से पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0 में पारित आदेश दिनांक 27.8.2021 को पुनः स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा वादिया के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। प्रार्थिया की ओर से निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.8.2021 को अपास्त किया जाकर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाकर वाद को पुनः दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नाटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 12 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में वकील प्रार्थिया की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थिया ने अपनी बहस में उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लाने हेतु निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र धारा 151 में पेश किया गया है। उक्त दावा अदम हाजरी/ अदम पैरवी में खारिज किया गया जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतुं सिविल प्रकियां संहिता में प्रावधान मौजूद है लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र को विधिक प्रावधानानुसार प्रस्तुत न करके केवल मात्र धारा 151 सी0पी0सी में पेश किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

कुलदीप सिंह शेखावत
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)